

प्रपत्र -2
(देखिय नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

क्र०स०	विवरण	क्रियान्वयन
1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	227.20 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लगू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल /अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 1000 मानव दिवस।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	0.8890 है0 आरक्षित वन रिखोली कक्ष सं0-7 0.1120 है0 नाप भूमि ग्राम रिखोली
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 08-04-16

स्थान देहरादून

प्रयोक्ता एजन्सी के अध्यक्ष
अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
परगण्ड देहरादून

नाम (ललित मोहन)

मोहर अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
परगण्ड देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)